कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–06/2021–821 **दिनांक :** 14.12.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फूलो–झानो कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान, फूलो–झानो जैव विविधता पार्क, फोसिल पार्क, साहेबगंज एवं जैव विविधता पार्क, दुमका के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कुल **रू0 1047.595 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–32/2020–18/स्वी0 व0प0 दिनांक 01.12.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0–32/2020–38/आ0 व0प0 दिनांक 10.12.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 1047.595 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S2406011015801O103	563.844
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	483.751
कुल :–		**1047.595**

वर्त्तमान में साहेबगंज वन प्रमण्डल को आपूर्ति एवं सामग्री मद में रू0 49.925 लाख (उनचास लाख बानवे हजार पाँच सौ रूपये) कम राशि उप आवंटित किया जा रहा है। अवशेष राशि विभाग से प्राप्त आवंटन के उपरान्त उपलब्ध करा दी जाएगी।

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 से 4** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–5** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110158010103 एवं 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे,

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

11. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

12. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

14. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

15. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मे नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

16. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

17. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगें। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापाक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

24. विभागीय संकल्प संख्या 4/यो0ब0–42/2010–3916 दिनांक 13.09.2012 द्वारा निर्गत संकल्प में सिविल कार्यों की अधिसीमा रू0 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) निर्धारित की गई है। अतः समर्पित प्रस्ताव में वृक्षारोपण से संबंधित कार्य विभागीय दर के अनुसार संपादित कराये जायेंगे एवं रू0 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) की लागत से अधिक सिविल कार्य को निविदा या भवन निर्माण विभाग के माध्यम से संपादित कराये जायेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–06/2021**–821 दिनांक– 14.12.2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–06/2021**–821 दिनांक– 14.12.2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फूलो–झानो ट्रीटमेंट प्लान के अंतर्गत 18 गाँवों में विकास कार्य से संबंधित उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

PHULO-JHANO CATCHMENT AREA TREATMENT PLAN

Phulo-Jhano Catchment Treatment Plan Abstract and Executive summery of DPR (Activity wise Budget)

All 18 Village Budget Summery

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज

Amount (in Lakh)

Total Geographical Area (in Ha) : 4202.89			Total Treatment Area (In Ha) : 3757.60				1st Year (2021-22)			
Sl. No.	Budget head	Sub Head	Details of Activities	Total (Phy)		Total (Fin)	Phy	Fin	Wages	Material
1	Up Land Treatment Plan	Soil and Water Canservation Activities	Continuous Contour Trench	25.00	Ha.	11.225	5.00	2.245	1.796	0.449
			Staggered Contour Trench	60.50	Ha.	22.627	12.10	4.525	3.620	0.905
			Field Bund with Trench	270.00	Ha.	56.970	54.00	11.394	9.115	2.279
			DCT	113.00	Ha.	40.680	22.60	8.136	6.509	1.627
Sub Total :-						**131.502**	**93.70**	**26.300**	**21.040**	**5.260**
2	Drainge Line Treatment Plan	Reduces erosion and reduces sediment transport	Gabion Structure (Wire Mesh)	300	No.	432	120	149.8	74.900	74.900
			Loose Boulder Structure	950	No.	85.5	380	34.2	17.100	17.100
			Masonry Check Dam	26	No.	240.786	11	101.871	50.936	50.936
			Drum Check Dam	28	No.	91.644	12	39.276	19.638	19.638
			Nala Renovation (3.25x1.65x1 =5.36 Mt q.)	14000	Rmt	35.98	5600	14.392	7.196	7.196
Sub Total :-						**885.91**		**339.539**	**169.77**	**169.77**
3	Under Ground and surface land Treatment Plan	Water Harvesting and Ground Water recharge	Earthen Check Dam (130ft x 20 ft)	16	No.	125.719	8	62.859	31.430	31.430
			Farm Pond (100ft x 10ft x 10ft)	26	No.	98.176	13	49.088	24.544	24.544
Sub Total :-				**42**		**223.895**	**21**	**111.947**	**55.9735**	**55.9735**
4	Entry Point Activity/ Awareness		Genral Awareness and Motivation all Villagers/ Flex Hording/Pumplet etc.	1	No.	18	1	8.0000	3.2000	4.8000
			Plantation Distriicbution (6000 Plan/Year)	1	No.	0.9	1	0.3000	0.1200	0.1800
Sub Total :-				**2**		**18.9**	**2**	**8.3000**	**3.3200**	**4.9800**
5	CNC		Contigency fund for office expences	3	No.	31.871	1	13.187	5.2748	7.9122
Sub Total :-				**3**		**31.871**	**1**	**13.187**	**5.2748**	**7.9122**
Grand Total :-						**1292.078**		**499.273**	**255.378**	**243.895**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फूलो–झानो जैव विविधता पार्क से संबंधित उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज

Amount (in Lakh)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	कुल प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1st Year (2021-22)					
1	Boundry wall (2016.50 ft)	46.404	23.202	23.202	46.404
2	Pathway with pavers block (3612.50 ft)	29.810	14.905	14.905	29.810
3	Drinking water facility for community	1.488	0.744	0.744	1.488
4	Main gate	6.000	3.000	3.000	6.000
5	Boat and fuel (rate approved by wild life management plan)	20.000	5.000	15.000	20.000
6	Electrification work in park with solar street light (65 No/Rs 13475) (JAREDA rate 2020)	8.759	4.380	4.380	8.759
7	Land leveling work of park (Rs 33391/Ha.) total 4 Ha.	1.336	1.336	0.000	1.336
8	Pound Development	4.771	4.771	0.000	4.771
9	Water fountain middle point of park	4.913	2.457	2.457	4.913
10	Construction of podium	1.730	0.865	0.865	1.730
11	Construction of Septik Tank	0.915	0.458	0.458	0.915
12	Plantation work	2.550	2.040	0.510	2.550
13	Green hadge fancing (for 400 Mt.)	5.982	4.786	1.196	5.982
14	Sound less generator set	9.600	3.600	6.000	9.600
15	Guard and staff room with 2 toilets	6.000	3.000	3.000	6.000
Total :-		**150.258**	**74.542**	**75.716**	**150.258**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फौसिल पार्क, साहेबगंज का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज

Amount (in Lakh)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	कुल प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
वित्तीय वर्ष 2020–21 के अवशेष कार्य हेतु					
1	Internal Design of Museum & Auditorium	194.096	97.048	97.048	194.096
Total		**194.096**	**97.048**	**97.048**	**194.096**
वित्तीय वर्ष 2021–22					
1	Manpower	24.854	24.854	0.000	24.854
2	Interior materiel and other	32.000	8.000	24.000	32.000
Total		**56.854**	**32.854**	**24.000**	**56.854**
Grant Total		**250.950**	**129.902**	**121.048**	**250.950**

14/1/14

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–4

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बंदरजोड़ी जैव विविधता पार्क, दुमका का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका

Amount (in Lakh)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1st Year (2021-22)					
1	Renovation of pond	18.995	15.000	3.995	18.995
2	Provision of prefabricated portable rest rooms at different places	10.000	5.000	5.000	10.000
3	Construction of embankments in the east and west side of pond	24.675	12.338	12.338	24.675
4	Construction of embankments in the south and east side of pond	22.432	11.216	11.216	22.432
5	Construction of pathway with paver blocks around boundary wall	16.671	8.336	8.336	16.671
6	Construction of pathway with paver blocks around pond	9.415	4.708	4.708	9.415
7	Provision of boulder pitching around the pond	2.985	1.493	1.493	2.985
8	Purchase of park benches for sitting	2.500	1.250	1.250	2.500
9	To provide boundary wall towards west side of pond	15.365	7.683	7.683	15.365
10	To provide boundary wall along main road	13.362	6.681	6.681	13.362
11	To provide boundary wall towards east side of the pond	12.849	6.425	6.425	12.849
12	Water supply installation	5.789	2.895	2.895	5.789
13	Construction of wooden security cabin room with basic amenities	5.000	2.500	2.500	5.000
14	Provision of solar street lights along the walkways and at strategic locations in the park	30.000	15.000	15.000	30.000
15	Provision of ecofriendly bins at different places inside the park	2.000	1.000	1.000	2.000
16	sign boards and other boards	5.000	2.500	2.500	5.000
Total :-		**197.038**	**104.022**	**93.017**	**197.039**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-06/2021/821 दिनांक - 14-Dec-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	64414	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	10,402,200.00 रुपये एक करोड चार लाख दो हजार दो सौ
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	64416	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	45,982,200.00 रुपये चार करोड उनसठ लाख बयासी हजार दो सौ
3	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	64423	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	9,301,700.00 रुपये तिरनावे लाख एक हजार सात सौ

योग: रुपये छः करोड छप्पन लाख छियासी हजार एक सौ 65,686,100.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCE DEV JHARKHAND
RANCH

पत्र संख्या - 01/YB-06/2021/821 दिनांक - 14-Dec-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	64425	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39,073,400.00 रुपये तीन करोड नब्बे लाख तीहत्तर हजार चार सौ

State Scheme : NA

Centeral Scheme : NA

योग:	रुपये दस करोड सैतालीस लाख उनसठ हजार पॉच सौ	39,073,400.00
क्रमिक योग:		104,759,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND,
RANCHI

 59.97.145.107 Run Date: 14/12/2021